छात्र –छात्राओं द्वारा सामान्यत: जिज्ञासावस पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

1- *मध्यप्रदेश के राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को एमबीए,एमसीए,बीई एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है .?*

मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को एमबीए, एमसीए एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है । कृपया प्रवेश नियम भी देखें ।

2- ATMA *की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश किस प्रकार दिया जाता है .?*

ATMA को प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जाता है ।

3- *मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित बीई पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान है ?*

मध्यप्रदेश के बाहर स्थित बीई पाठ्यक्रम की संस्थाओं में मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावृत्ति का प्रावधान रखा गया है जिसके लिये प्रतिवर्ष संस्थाओं को सूचित किया जाता है तथा छात्र-छात्राओं को संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होता है ।

4- *मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र –छात्राओं को निजी क्षेत्रा की संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है ?*

वर्तमान नियमों में निजी क्षेत्रा की संस्थाओं में मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था है ।

5- *ग्रीन कार्ड धारी अभिभवको के छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट का क्या प्रावधान है ?*

मध्यप्रदेश के स्वशासी,अनुदान प्राप्त एवं शासकीय सस्थाओं से संचालित किये जा रहे बीई एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ऐसे समस्त ग्रीनकार्ड धारको के अभिभवको को शिक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान है जिन्होंने अपना परिवार नियोजन का आपरेशन दिनांक 13/5/2003 के पूर्व कराया है । परन्तु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावको के लिये यह बंधन नहीं है ।

6- *डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रवेश के लिये क्या प्रावधान रखा गया है ?*

डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बीई/बीफार्मेसी पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है परन्तु इसके लिये अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारो को Aggregate 60 प्रतिशत अंक तथा मध्यप्रदेश के

अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को Aggregate में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है । साथ ही उनके द्वारा डिप्लोमा उत्तीर्ण ब्रांच की समतुल्यता भी काउंसिलिंग के दौरान देखी जाती है ।बीएससी गणित उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भी प्रवेश का प्रावधान रखा गया है । कृपया प्रवेश नियम भी देखें ।

7- *डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये क्या कार्यवाही करना पडती है ?*

मध्यप्रदेश की पोलीटेकनिक संस्थाओं में सिविल,मैकेनिकल,इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रमों एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश व्यापम द्वारा आयोजित पीपीटी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जाते है । जिसके लिये 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है । परन्तु अन्य पाठ्यक्रमों के प्रवेश नान-पीपीटी के माध्यम से किये जाते है जिनमे से कुछ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये 10वीं परीक्षा तथा कुछ पाठ्यक्रमों के लिये 10+2 की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है ।